

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री के० राम यादव आर०ए०एस०

दमा नम्बर
/2014

तारीख दायर
13.11.2014

तारीख फासला
2-5-18

उनवान

1. रसीदन पत्नी श्री फजरु जाति मेव निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला अलवर
वादीगण

बनाम

1. कमरुदीन पुत्र श्री जगदेव जाति मेव निवासी ग्राम खोहरीकला तहसील तिजारा जिला अलवर
2. रूजदार पुत्र श्री सुगडा
3. दीनू पुत्र श्री अब्दुल
4. महमूदा पुत्र सुल्ला उर्फ सुल्तान
5. आसु पुत्र श्री महमूदा जाति मेवान निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला अलवर
6. अलाबक्श पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर
7. मजीदन पत्नी जाकर जाति मेवान निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला अलवर
8. महमूद पुत्र सूसला (मृतक)
8/1 आसु
8/2 समसू पुत्रान महमूद
8/3 आशिया
8/4 कशमीरी
8/5 रूकया
8/6 रहीसन पुत्रियान महमूद
8/7 रहमती पत्नी महमूद जाति मेवान निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला अलवर
9. छोटा पुत्र श्री सफेदा
10. पप्पू पुत्र श्री सफेदा जाति मेवान निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला अलवर
11. श्रीमान तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर
प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अर्न्तगत धारा 53
व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादिया दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर आराजी हाल खसरा नं० 127/0.52, 204/0.33, 205/0.14, 206/0.23, 207/0.48, 208/0.58, 209/0.44, 210/0.15, 211/0.61, 212/0.54, 224/0.45, 128/0.32 वाके ग्रामआघांका तहसील तिजारा जिला अलवर पृथक पृथक लगान खाता कायम किये जाने एवं उक्त प्रतिवादीगण 1 लगा० 10 की संयुक्त खातेदारी की है, के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स हिस्से से बेदखलना कर ना ही कब्जा करे, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मूदाखलत पैदा नहीं करे, रहन बय से मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, इस आशय की हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट जैरोली दिनांक 27.6.2016 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर उक्त आराजीयात के फरीकैन के हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु तहसीलदार तिजारा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया।


तहसीलदार तिजारा के पत्र क्रमांक भूअ./18/2634 दिनांक 5.6.2018 से न्यायालय को प्राप्त हुई। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया व वकील वादी को सुना गया। प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट में वाद में विवादित आराजीयात में से खसरा संख्या 224 व 226 को छोडकर शेष आराजीयात की बंटवारा स्कीम प्रेषित करते हुये खसरा नम्बर 224 व 226 के बाबत नोट अंकित किया गया है कि इन दो खसरा नम्बरों के जमाबन्दी अनुसार हिस्से सही नहीं हैजिनका बंटवारा सम्भव नहीं है। वकील वादी ने उक्त दो खसरा नम्बर 224 व 226 को बंटवारा से पृथक रखते हुये तकास्मा किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। अतः शेष विवादित खसरा नम्बरान बाबत वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादिया फाईनल डिक्री किया जाकर निम्न लिखित सारणी अनुसार पृथक पृथक खाता व लगान कायम कर इसी अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 10 वादिया को उसके हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में मजाहमत मूदाखलत पैदा नहीं करे, मौका व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, इस आशय की हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

नाम काश्तकार मय वल्लियत	खसरा नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
रसीदन पत्नी फजरु मेव सा. देह खातेदार रहिन आईसीआईसीआई बैंक किशनगढबास मु. बि.क.	208	0.58	बा. सोयम	2.29
	209	0.44	बा. सोयम	1.74
	210	0.15	बा. सोयम	0.59
	128	0.32	बा. सोयम	0.89
	किता 4	1.49		5.51
कमरुदीन पुत्र जगदेव मेव सा. खोहरीकलां हिस्सा 0.58, रूजदार पुत्र सुगडा मेव 0.59, दीनू पुत्र अब्दुल हिस्सा 0.39, अलाबक्श पुत्र सफेदा हिस्सा 0.13 आसु, समसु पुत्रान व आसिया, कशमीरी, रूकैया, रहीसन पुत्रियान व रहमति पत्नी महमूदा स.भा. 0.39 आसु पुत्र महमूदा 0.09, रूजदार पुत्र सुगडा मेव सा. देह 0.07, महमूदा पुत्र सुल्ला उर्फ सुल्तान मेव सा. मिर्जापुर 0.10 खातेदार	204	0.33	बा. सोयम	
	205	0.14	बा. सोयम	
	206	0.23	बा. सोयम	
	207	0.49	बा. सोयम	
	211	0.61	बा. सोयम	
	212	0.54	बा. सोयम	
किता 6	2.34		8.66	
3 कमरुदीन पुत्र जगदेव मेव सा. खोहरीकलां हिस्सा 0.13, रूजदार पुत्र सुगडा मेव सा. देह 0.16, मजीदन पत्नी जाकर 0.20 राहिन एसबीबीजे शाखा तिजारा मु.बि.क. अलाबक्श पुत्र सफेदा 0.03 मेव सा. मिर्जापुर खातेदार	127	0.52	बा. सोयम	1.44

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा फरीकैन अपना अपना वहन करे।
आदेश सुनाया गया।



(के० राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)